

# पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

भारतीय कॉर्टोनी, बलिया खेड़ी ब्लॉक के सामने, दिल्ली रोड, सहारनपुर (उ०प्र०)

स० पावर ग्रिड सहारनपुर।



पावर ग्रिड

दिनांक

31-7-14

87

मीलमी

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

राम लिंग

पा०

राम

जिला

सहारनपुर

एवं भवोटया,

भारतीय विद्युत आधिकारियम 2003 अनुच्छेद 164 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 अनुच्छेद 10 से 19 में निहित तथों का प्रयोग करते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार विद्युत सेवा का उद्यम) द्वारा 400 के०वी०डी०/सी० रुड़की-सहारनपुर पैकेज के बनाते समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि आपकी न की कम से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणोंवश उपरोक्त लाईन निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी फसल को आपके कर दिया जायेगा। क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति, जो राजस्व विभाग या उसके द्वारा निर्धारित/निर्देशित किसी अन्य सक्षम कार्य विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का भुगतान स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

कार्य विवरण

संक्षेप संख्या	कार्य विवरण	फसल	क्षेत्रफल
53/०	नाम (राम)	३१२७	$50 \times 60 = 3000$ वर्गमीटर

भवदीय

वास्ते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

पु०/पत्नी

राम लिंग

मैं इसका हूँ कि उपरोक्त फसल का स्वामी हूँ, जिसका राजस्व विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन मुझे स्वीकार होगा तथा इस कार्य का सम्पन्न बदला हो देया जाएगा।

Devesh Kumar Singh

मीलमी लिंग  
रामलीला लिंग

मीलमी लिंग  
तहसील रामलीला लिंग

पु०/पत्नी

राम लिंग  
सहारनपुर

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh  
मुख्य प्रबंधक (टी. इल.) / Chief Manager (T.L.)  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
400/220 के०वी० उपरोक्त, पुहाना, रुड़की-247667  
400/220 KV Substation, Puhana, Roorkee-247667

हस्ताक्षर

नाम ग्राम प्रधान

जिला

हुए फसलों की हानि का मूल्यांकन कराने का कार्य

# पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिंग



(भारत सरकार का उद्यम)

महादेव फौलोंगी, बलिया खेड़ी ब्लॉक को सामने, दिल्ली रोड, सहारनपुर (उत्तराखण्ड)

क्र. सं. १० पावर ग्रिड/सहारनपुर

वा. मं. ९१५

दिनांक ५. १०. २०१४

प्रधान  
म  
तहसील  
देवश/महोदया

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री  
पो  
जिला

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनुच्छेद 164 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 अनुच्छेद 10 से 19 में निहित कियो का प्रयोग करते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिंग (भारत सरकार विद्युत बालय का उद्यम) द्वारा 400 केवी०डी०/सी० रुड़की-सहारनपुर पैकेज के बनाते समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि आपकी तल वीं कम से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणोंवश उपरोक्त लाईन निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी फसल को आपके पुर्व कर दिया जायेगा। क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति, जो राजस्व विभाग या उसके द्वारा निर्धारित/निर्देशित किसी अन्य सहाय चिकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का भुगतान रवानित्व सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

## फसल का विवरण

फसल का कार्य विवरण	फसल	क्षेत्रफल
३३/५ राजस्व विभाग	मृदा	५०×६२ = ३१०० क्वर्टरेट

भवदीय

वास्ते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिंग

पुत्र/पत्नी

राम लक्ष्मी

गपित करता हूँ कि उपरोक्त फसल का स्वामी हूँ, जिसका राजस्व विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन मुझे स्वीकार होगा तथा इस कार्य लिए मेरी सहमति प्रदान करता हूँ।

स्वामी का हस्ताक्षर

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh  
मुख्य प्रबंधक (टी. एल.) / Chief Manager (T.L.)  
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
400/220 केवी० उपकेन्द्र, पुहाना, रुड़की-247667  
400/220 KV Substation, Puhana, Roorkee-247667

लिपि: तहसीलदार-तहसील

आपसे अनुरोध है कि ऊपर लिखी गई लिपि का दुपर फसलों की हानि का मूल्यांकन कराने का कार्य

पुत्र/पत्नी  
तहसील राम लक्ष्मी  
प्रधान की सहायता

पुत्र/पत्नी राम लक्ष्मी  
जिला असाम है।

हस्ताक्षर

नाम गम प्रधान

जिला

# पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार आधी)

400/220 के बी. एस.एल. पुहाना ग्राम पोल्यूर ग्राम, पूर्व तहसील, दिल्ली ज़िला, प्रदेश 247667  
पत्रसंख्या : पाक ग्रिड/महाराष्ट्र/



सेवा में,

2451

टिकट नं. 2015/16

श्री/ श्री मती

श्री/ श्री मती

पुर/पत्नी/पत्नी श्री

2015/16

ग्राम

रामगढ़ी ग्राम

पो.

2316

तहसील

बालाजी

ज़िला

दिल्ली

महोदय/महोदया,

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनुच्छेद 164 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 अनुच्छेद 10 से 19 निर्दिष्ट शर्वितयों का प्रयोग करते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार विद्युत प्रशालय का उद्यम) द्वारा 400 केंवी०डी०/सी० रुड़की-सहारनपुर पैकेज के बनाते समय लघित ध्यान रखा जायेगा कि आपकी फसल की कम से कम शक्ति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणोंवश उपरोक्त लाईन निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी फसल को आपवृ सुपुद्द कर दिया जायेगा। शतिग्रस्त फसल की शतिपूर्ति, जो राजस्व विभाग या उसके द्वारा निर्धारित/निर्दिशित किसी अन्य राजा अधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का भुगतान खामित्व सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

## फसल का विवरण

टावर लोकेशन संख्या	कार्य विवरण	फसल	प्रोत्तरफल
33/4	नरूपी ग्राम	गान्डी	

भवदीय

वारसे पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

में

श्री/ श्री 2015/16

पुर/ पत्नी

राम 2015/16

सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त फसल का खामी हूँ, जिसका राजस्व विभाग किया गया मूल्यांकन मुझे स्वीकार होगा तथा के लिए मेरी सहमति प्रदान करता हूँ।

भूखामी का हस्ताक्षर  
Abhay Kumar

प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त फसल को खामी श्री  
निवासी ग्राम

रामगढ़ी ग्राम

देवेश कुमार निंद / Devesh Kumar Singh  
मुख्य प्रबंधक (टी.एल.) / Chief Manager (T.L.)  
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
400/220 केंवी०डी० उपरोक्त, पुहाना, रुड़की-247667  
400/220 KV Substation, Puhana, Roorkee-247667

प्रतिलिपि : तहसीलदार-तहसील  
आपसे अनुरोध है कि ऊपर लिखित

पुर/ पत्नी

राम 2015/16

जिला

दिल्ली

हस्ताक्षर

नाम ग्राम प्रधान

जिला

दिल्ली

फसलों की हानि का मूल्यांकन कराने का

# पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार द्वारा प्रबंधित  
सरकारी नियंत्रित बहुमत के अन्तर्गत, बिस्तरी नंद, बाहुदार्गाँव (काशी)  
उत्तर प्रदेश, भूखण्डनगढ़ा, 247667

दिनांक 11/11/15

*ज्ञाति का लिखा गया है*

लेखा है

लिखने वाले का नाम है

लिखने वाले की जाति वर्ग है

पुरुष/महिला/पत्नी का

जनमत *सहमति*

विषय : 400 के ग्री. काठकी-सहारनपुर पारेशन लाइन के पार्श्व में पहने गए यहाँ को काटने के लिए

(भारतीय टेलीफोन अधिनियम 1885 के अन्तर्गत गृहना)

प्राप्तिक्रिया का विवरण

इस चार के प्राप्तक्रिया का विवरण है कि आपके द्वारा दुष्प्रभाव विवरण नीचे दिया गया है उपरोक्त पार्श्व के लिए यहाँ में लाइन के लिए दुष्प्रभाव नियमों के अधीन इसी लिए इसकी लियी एक 2003 (आठ सालोंपरिि) एवं जनमत के लिए दुष्प्रभाव को काट द्वारा लाग्ते वाकारक है।

अब आपसे जनमत के लिए आप इस पर्व के प्राप्तत होने के 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित घन विभाग को वार्तालिय से नियुक्ति दी जाना यह नियन्त्रित दृष्टि को लाठ है। वहाँ का मुख्यकाल दार्शनिकत शरणशाला/घन/उद्यान विभाग द्वारा नियन्त्रित किया जाना उपरोक्त राज्यकालीन विभाग समिक्षा समिक्षा लायान के उपरान्त आपको प्राप्त विलग द्वारा दिया जाएगा।

## यहाँ का विवरण

क्र. संख्या	लाइन	पुरुष की प्रतीक्षा	दुष्प्रभाव की विवरण (कि. कॅ. ए.)	पुरुष लिया	अन्य
1	220	पुरुष	पुरुष 120   120-150   150-175   175-200   200-220	पुरुष 120   120-150   150-175   175-200   200-220	
2	220	पुरुष	पुरुष 145   145-170   170-200   200-220	पुरुष 145   145-170   170-200   200-220	पुरुष 145   145-170   170-200   200-220
3	220	पुरुष	पुरुष 183   183-210   210-230   230-250	पुरुष 183   183-210   210-230   230-250	पुरुष 183   183-210   210-230   230-250
4	220	पुरुष	पुरुष 26   26-30   30-35   35-40   40-45	पुरुष 26   26-30   30-35   35-40   40-45	पुरुष 26   26-30   30-35   35-40   40-45
				पुरुष 7	पुरुष 7

मैं इसीलियत लाइन की दुष्प्रभाव द्वारा यहाँ का वायरल  
में ही एकमात्र सम्भावी हूँ यदि इस पर्व कोई व्यापित्य विवरण  
नियम द्वारा लाइन के लिये में लाये जाते होंगी। लूगों  
का सम्बोध युक्त सम्बन्ध के दायराएँ

*पावर ग्रिड प्रतिनिधि का*

*देवेश कुमार राह*

*देवेश कुमार राह*

देवेश कुमार राह / Devesh Kumar Singh  
मुख्य प्रबंधक (टी. एल.) / Chief Manager (T.L.)  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
400/220 केवी१० उपकेन्द्र, पुहाना, रुडकी-247667  
400/220 KV Substation, Puhana Roorkee-247667

क्लर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

१८

### वृक्षों का विवरण

Ch 29 until December  
1921 -

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh  
मुख्य प्रबंधक (टी. ए.ल.) / Chief Manager (T.L.)  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
400 / 220 के०वी० उपकेन्द्र, पुहाना, लड़की-247667  
400 / 220 KV Substation, Puhana, Roorkee-247667